एक नजर में

खाना खाने की बात पर मारपीट

श्योपुर, 03 अप्रैल। थाना मगरधा मारपीट फरि. रामस्वरूप पुत्र कंचन आदि. उम्र 40 साल नि. घोरेरा का सहराना ने रिपोर्ट की कि दि 31.03.26 के 17.15 बजे स्थान प्रकाश धाकड़ के खेत के पास आरोपी रामस्वरूप पुत्र लक्ष्मी आदि. नि. घोरेरा का सहराना फरि. की पत्नि के द्वारा खाना खाने के बात पर आरोपी ने मारपीट की एवं गालियां दी।

25 क्वा. देशी शराब जप्त

श्योपुर, 03 अप्रैल। थाना कराहल 25 क्वा. देशी शराब पकड़ी आरोपी संजय पुत्र सौरब आदि. नि. रानीपुरा को दि. 31.03.26 के 22.00 बजे स्थान कराहल रानीपुरा रोड़ कॉलेज के पास के कब्जे से 25 क्वा. देशी शराब कीमती 2500/- रू. जप्त की। दि. 31.03.26 को धारा 34 आब. एक्ट कायम कर लिया है।

जमीनी विवाद पर, एक राय होकर मारपीट की

श्योपुर, 03 अप्रैल। थाना विजयपुर मारपीट फरि चौकेराम पुत्र आनंद रावत उम्र 52 साल नि. खितरपाल ने रिपोर्ट की कि दि. 31.03.26 के 09.30 बजे स्थान फरि. के मकान के बाहर पर आरोपीगण, दर्शन, रामबीर, मुरारी, मुकेश, सत्यपाल, शिवराम, प्रीतम, महेश नि. गण. ग्राम खितरपाल ने फरि एवं उसके परिवार के सदस्यों के साथ जमीनी विवाद पर गंदी-गंदी गालियां दी एक राय होकर मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी। दि. 31.03.26 को धारा 115(2), 324(4), 296 (ए), 351 (3), 3(5), 190, 191 (2), 191 (3) बीएनएस कायम कर लिया है।

20 क्वा. देशी शराब जब्त

श्योपुर, 03 अप्रैल। थाना विजयपुर 20 क्वा. देशी शराब पकड़ी- आरोपी सतीश पुत्र प्रकाश कुशवाह उम्र 22 साल नि. ग्राम धामनी को दि. 31.03.26 के 21.28 बजे स्थान बाईपास मैदावली रोड़ विजयपुर के कब्जे से 20 क्वा. देशी शराब कीमती 2000/- रू. की जप्त की। दि. 31.03.26 के 22.36 बजे अप. क्र. 109/26 धारा 34 आब. एक्ट कायम कर लिया है।

रास्ते में गाड़ी खड़ी करने की बात पर मारपीट

श्योपुर, 03 अप्रैल। थाना कोतवाली मारपीट फरि. शोएव अख्तर पुत्र सराफत उम्र 21 साल नि. मेवाती मोहल्ला ने रिपोर्ट की कि दि. 31.03.26 के 22.10 बजे स्थान गणेश जी बाजार मंगल बूट हाउस के सामने पर आरोपी आनंद बाल्मिकी एवं 02. अन्य अज्ञात साथी ने रास्ते में गाड़ी खड़ी करने की बात पर मारपीट की एवं गालियां दी। दि. 31.03.26 के 23.00 बजे अप. क्र. 97/26 धारा 115(2), 296 (बी), 3 (5) बीएनएस कायम कर लिया है।

खेत में गाय घुसने की बात को लेकर मारपीट

श्योपुर, 03 अप्रैल। थाना कोतवाली मारपीट फरि. प्रकाश पुत्र जगन्नाथ मीणा उम्र 60 साल भि. नागदा श्योपुर ने रिपोर्ट की कि दि. 01.04.26 के 09.30 बजे स्थान फरि. के घर के बाहर ग्राम नागदा पर आरोपीगण, मिथुन मीणा, सतीश मीणा, जितेन्द्र मीणा, चेतन मीणा नि.गण सदर ने फरि को खेत में गाय घुसने की बात को लेकर गंदी गंदी गालियां दी मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी व फरि के घर का गेट तोड़ दिया। दि. 01.04.26 के 11.56 बजे अप.क्र. 99/26 धारा 115(2), 296 (बी), 351(3), 324 (4), 3(5) बीएनएस कायम कर लिया है।

नाली की बात को लेकर मारपीट

श्योपुर, 03 अप्रैल। थाना देहात मारपीट फरिया. रेखा बाई पत्नी महावीर मीणा उम्र 45 साल नि. गोहिड़ा थाना देहात ने रिपोर्ट की कि दि. 01.04.26 के सुबह 08.00 बजे स्थान फरिया का घर ग्राम गोहिड़ा पर आरोपी जगदीश मीणा नि. सदर ने फरिया एवं फरिया की लड़की किरण को नाली की बात को लेकर घर मे घुसकर मां बहन की गंदी-गंदी गालियां दी मारपीट कर चोट पहुंचाई व जान से मारने की धमकी दी। दि. 01.04.26 के 10.52 बजे अप.क्र. 72/26 धारा 115 (2) 296 (ए).351(2).333 बीएनएस कायम कर लिया है।

अवैध वसूली के संबंध मे मारपीट

श्योपुर, 03 अप्रैल। थाना विजयपुर मारपीट फरि चन्द्रभान पुत्र रघुवीर जाटव उम्र 20 साल नि. टेंटरा मुरैना ने रिपोर्ट की कि दि. 31.03.26 के 19.30 बजे स्थान बिजली घर के सामने खितरपाल टेंटरा विजयपुर रोड़ पर आरोपीगण, छोटू रावत नि.गोहटा, छोटू रावत नि. रनावद, पंकज रावत नि. सुनवाई, लल्ला रावत नि. नरसिंहपुरा विजयपुर ने अवैध बसूली के संबंध मे फरि के साथ मारपीट की गंदी गंदी गालियां दी मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। दि. 01.04.26 के 12.11 बजे अप.क्र. 110/26 धारा 115 (2).296 (ए).119 (1).351(3).3 (5) बीएनएस कायम कर लिया है।

प्रताड़ित व परेशान करने के कारण युवती ने लगाईफांसी

श्योपुर, 03 अप्रैल। थाना कराहल फांसी लगाने से मृत्यु फरि. रामसिंह पुत्र फेसूराम कुशवाह उम्र 43 साल नि. चिन्चाहरण मौहल्ला कराहल ने रिपोर्ट की कि दि. 09.03.26 के 20.08 से 22.00 बजे स्थान मृतिका का घर चिन्ताहरण मौहल्ला कराहल पर आरोपी आकाश पुत्र प्रकाश कुशवाह नि. चिन्ताहरण मौहल्ला कराहल ने मृतिका को प्रताड़ित व परेशान करने के कारण मृतिका ने फांसी लगा ली। (मर्ग क्र. 03/26 मृतिका पदमा पुत्री रामसिंह कुशवाह उम्र 19 साल) दि. 01.04.26 के 14.18 बजे अप.क्र. 24/26 धारा 108 बीएनएस कायम कर लिया है।

18 पटवारियों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति

श्योपुर, 03 अप्रैल। 18 पटवारियों के विरूद्ध धारा 420, 467, 468 भादवि इजाफा धारा 409, 120-बी भादवि, 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। एसडीओपी बडौदा द्वारा थाना बडौदा के अपराध क्रमांक 439द23 धारा 420, 467, 468 भादवि इजाफा धारा 409, 120-बी भादवि, 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने के पत्र पर अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख कुलदीप बोहरे ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैअ अर्पित वर्मा द्वारा जिन 18 पटवारियों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है, उनमें मेवाराम गोरछिया पुत्र टुडियाराम गौरछिया, हेमन्त मित्तल पुत्र केशव मित्तल, राजकुमार शर्मा पुत्र पोखपाल शर्मा, महेन्द्र सिंह जाटव पुत्र दयाराम जाटव, सुमित देशलेहरा पुत्र मातादीन देशलेहरा, योगेश जिन्दल पुत्र गिरीश जिन्दल, विनोद भूषण पुत्र कैलाशनारायण भूषण, अखिलेश जैन पुत्र गुलाबचंद जैन, भोलाराम गुप्ता पुत्र नागाराम गुप्ता, हुकुमचंद बिसारिया पुत्र गोपाल बिसारिया, राजवीर जाटव पुत्र रामस्वरूप जाटव, बृजराज मीणा पुत्र महावीर मीणा, रामनरेश जाटव पुत्र मोरपाल जाटव, रामदयाल जागा पुत्र शंभूदयाल जागा, सोनेराम धाकड पुत्र जगदीश धाकड, नीतेश मीणा पुत्र रामलखन मीणा, संजय रावत पुत्र हाकिम सिंह रावत, शंकरलाल मर्सकोले शामिल है। इनमें से शंकरलाल मार्सकोले वर्तमान में छिंदवाडा जिले की सौसर तहसील में पदस्थ है, बाकि सभी 17 पटवारी श्योपुर जिला अंतर्गत विभिन्न तहसीलों में पदस्थ है।

कोतवाली थाना क्षेत्र में हुआ विवाद

श्योपुर, 03 अप्रैल। थाना कोतवाली मारपीट फरि. बीर पुत्र मल्ला खरे(बाल्मीकी) उम्र 18 साल नि. वार्ड क्र. 02 हरिजन बस्ती श्यो. ने रिपोर्ट की कि दि. 31.03.26 के 22.10 बजे स्थान गणेश जी बजार मंगल बूट हाउस के सामने पर आरोपी बिट्टू मेवाती एवं 02 अज्ञात अन्य साथी ने रास्ते में गाड़ी खड़ी करने की बात पर मारपीट की एवं जातिसूचक गालियां दी। दि. 01.04.26 के 00.19 बजे अप. क्र. 98/26 धारा 115 (2),296 (बी),3(5) बीएनएस 3(1)द,3(1)ध,3(2)व्हीए एससी/एसटी एक्ट कायम कर लिया है।

फील्ड ट्रेनर्स का तीन दिवसीय प्रशिक्षण, फील्ड विजिट कर मकानों की गणना के संबंध में दी गई ट्रेनिंग

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 03 अप्रैल। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी वर्मा के मार्गदर्शन एवं सीईओ जिला पंचायत एवं जिला जनगणना अधिकारी श्रीमती सौम्या आनंद के निर्देशन में फील्ड ट्रेनर्स के तीन दिवसीय प्रशिक्षण का समापन आज फील्ड विजिट के साथ संपन्न हुआ। प्रशिक्षण अंतिम दिन फील्ड ट्रेनर्स को नजदीकी ग्राम चौनपुरा एवं बगवाज में विजिट कराते हुए मकानों की गणना के संबंध में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत सभाकक्ष में प्रगणकों एवं सुपरवाईजर्स को ट्रेनिंग प्रदान करने तथा जनगणना के दौरान मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से जनगणना चार्ज कार्यालयवार नियुक्त किये गये 26 फील्ड ट्रेनर्स के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इसके अंतर्गत तहसील श्योपुर में 06, तहसील वीरपुर के लिए 03, तहसील विजयपुर के लिए 05, तहसील कराहल के लिए 04, तहसील बडौदा के लिए 03, नगरीय निकाय श्योपुर में 03 तथा नगरीय निकाय बडौदा एवं विजयपुर के लिए 1-1 फील्ड ट्रेनर्स को जिम्मेदारी सौपी गई है।

जनगणना निदेशालय की ओर से जनगणना कार्य के लिए नियुक्त संभागीय प्रभारी रघुवंश मणी सहित मास्टर ट्रेनर द्वारा यह प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा आज प्रशिक्षण के अंतिम दिन ग्राम चौनपुरा एवं बगवाज में फील्ड भ्रमण कर मैदानी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

चार्ज जनगणना अधिकारियों के प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश

कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्री वर्मा द्वारा सभी चार्ज जनगणना अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि वे अपने-अपने मुख्यालयों पर प्रगणकों एवं सुपरवाईजर का प्रशिक्षण आयोजित करें। यह प्रशिक्षण 1 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पूर्ण कर लिये जायें। उल्लेखनीय है कि श्योपुर तहसील अंतर्गत रिर्जव सहित 357 प्रगणक तथा 60 सुपरवाईजर, नगरपालिका श्योपुर क्षेत्र अंतर्गत 154 प्रगणक एवं 27 सुपरवाईजर, बडौदा तहसील अंतर्गत 179 प्रगणक एवं 30 सुपरवाईजर, नगरीय निकाय बडौदा अंतर्गत 42 प्रगणक एवं 07 सुपरवाईजर, कराहल तहसील अंतर्गत 235 प्रगणक एवं 35 सुपरवाईजर, तहसील वीरपुर अंतर्गत 153 प्रगणक एवं 27 सुपरवाईजर, तहसील विजयपुर अंतर्गत 261 प्रगणक एवं 44 सुपरवाईजर तथा नगरीय निकाय विजयपुर अंतर्गत 39 प्रगणक एवं 8 सुपरवाईजर को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेंगा।

मलेरिया नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु विशेष अभियान, 70 घरों का किया सर्वे

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 03 अप्रैल। जिला मलेरिया अधिकारी डॉ एनएस बिंदल के निर्देशन में जिले में मलेरिया नियंत्रण के लिए व्यापक गतिविधियां संचालित की जा रही है।

इसी क्रम में विकासखंड कराहल एवं विजयपुर के अंतर्गत ग्राम मेहरबानी, बारखेड़ा एवं कोटका सहराना में मलेरिया नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु विशेष अभियान संचालित किया गया। अभियान अंतर्गत ग्राम मेहरबानी में कुल 70 घरों का लार्वा सर्वे किया गया। इस दौरान बुखार से ग्रसित संभावित मरीजों की जांच किट के माध्यम से जांच की गई, जिसमें सभी जांच परिणाम नेगेटिव पाए गए। साथ ही घरों के आसपास स्थित गड्ढों एवं जलभराव वाले स्थानों में मच्छरों के लार्वा के नियंत्रण हेतु टेमेफोस दवा का छिड़काव किया गया।

इसी प्रकार विकासखंड विजयपुर के ग्राम बारखेड़ा एवं कोटका सहराना में भी लार्वा सर्वे एवं बुखार रोगियों की जांच की गई। साथ ही सामुदायिक बैठक आयोजित कर ग्रामीणों को मलेरिया से बचाव के उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

ग्रामीणों को जागरूक करते हुए बताया गया कि घर एवं आसपास अनावश्यक जलभराव न होने दें। नियमित रूप से मच्छरदानी का उपयोग करें। शाम के समय नीम की पत्तियों का धुआं करें।

किसी भी प्रकार के बुखार को नजरअंदाज न करें एवं तत्काल रक्त जांच कराएं। आशा कार्यकर्ता, एएनएम से संपर्क कर पूर्ण उपचार प्राप्त करें।

इसके अतिरिक्त मलेरिया के लक्षण, जांच एवं उपचार के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई तथा मच्छरदानी के उपयोग के प्रति विशेष रूप से प्रेरित किया गया।

इस अभियान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कराहल से एमआई नरसिंह गोड़, एएनएम, आशा कार्यकर्ता प्रीति कुशवाहा एवं सपोर्टिंग स्टॉफ दुर्गा कुशवाहा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विजयपुर से एमटीएस साहिब कुरैशी, सीएचओ असद अंसारी, जीतेन्द्र शाक्य, आशा सुपरवाइजर श्रीमती कमला जाटव एवं श्रीमती भगवती कुशवाहा की सक्रिय सहभागिता रही।

गिट्टी खनिज के अवैध परिवहन पर कार्यवाही

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 03 अप्रैल। अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण पर रोक लगाने तथा त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित उडनदस्ते द्वारा तहसीलदार श्रीमती मनीषा मिश्रा के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए गिट्टी के अवैध परिवहन पर एक डम्पर जब्त करने की कार्यवाही की गई है।

तहसीलदार श्रीमती मनीषा मिश्रा ने बताया कि अवैध परिवहन के संबंध में शिवपुरी रोड पर डम्पर क्रमांक आरजे 20 जीसी 1357 में खनिज गिट्टी की जांच की गई, जांच में मौके पर वाहन चालक द्वारा वैध ईटीपी (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास) प्रस्तुत नही किये जाने पर डम्पर को देहात थाना श्योपुर की सुपुर्दगी में दिया गया है। कार्यवाही के दौरान उडनदस्ते में शामिल पटवारी पुरूषोत्तम राठौर, ब्रम्हानंद जाट तथा माइनिंग विभाग के कर्मचारी मौजूद रहें।

डीएमओ सहित तीन फर्मो को कारण बताओ नोटिस जारी

श्योपुर, 03 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा द्वारा रासायनिक उर्वरक का वितरण ई-विकास प्रणाली के माध्यम से न किये जाने पर जिला विपणन अधिकारी मार्कफेड सहित उर्वरक विक्रय करने वाली निजी क्षेत्र की तीन फर्मो को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये है। जारी नोटिस के अनुसार 1 अप्रैल से पूर्ण रूप से रासायनिक उर्वरक का वितरण ई-विकास प्रणाली के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये है, लेकिन मार्कफेड अंतर्गत डीएलसी बडौदा से 0.045 मैट्रिक टन यूरिया एवं 0.25 मैट्रिक टन डीएपी तथा विजयपुर मार्कफेड से 1.7 मैट्रिक टन डीएपी का वितरण ई-विकास प्रणाली के माध्यम से न करते हुए आईएफएमएस पोर्टल किया गया है। इसी प्रकार जेके इंटरप्रायजेज कलारना रोड श्योपुर द्वारा 10.395 मैट्रिक टन यूरिया का, चंबल खाद बीज भण्डार दांतरदा द्वारा 5.175 मैट्रिक टन यूरिया तथा प्रतीक ट्रेडर्स ढोढर द्वारा 3.15 मैट्रिक टन यूरिया का वितरण भी आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किया गया है, जो कि शासन के निर्देशो की अवहेलना है एवं उर्वरक आदेश 1985 का उल्लंघन है।

निषादराज भवन में ई-विकास प्रणाली पर प्रशिक्षण आयोजित

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 3 अप्रैल। ई-विकास प्रणाली के संबंध में विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन जिला पंचायत स्थित निषादराज भवन में किया गया। जिसमें राजस्व विभाग से राजस्व निरीक्षक, पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं कृषि विस्तार अधिकारियों को ई-विकास प्रणाली के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का संचालन अरूण कुमार शाक्य कृषि विकास अधिकारी द्वारा किया गया एवं ई-विकास प्रणाली एवं संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करने के संबंध में बताया गया।

सहायक संचालक कृषि मुनेश कुमार शाक्य द्वारा बताया गया कि ई-विकास प्रणाली डिजिटली रूप से उर्वरक वितरण करने की प्रणाली है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य किसानों को पारदर्शी तरीके से सुगमतापूर्वक उर्वरक प्रदाय करना है।

उप संचालक कृषि जीके पचौरिया ने बताया कि जिले में गत 01 अप्रैल से रासायनिक उर्वरक का शत प्रतिशत वितरण ई-विकास प्रणाली प्रारंभ कर दी गई है। जिले के सभी सहकारी एवं निजी क्षेत्र के उर्वरक विक्रेताओं को ई-विकास प्रणाली के माध्यम से ही उर्वरकों का वितरण करने के निर्देश जारी किये गये है। जो विक्रेता निर्देशों का पालन नही करेगा। उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही किसानों भाईयों से भी अपील है कि जिन किसानों की एग्रीस्टेक पर फार्मर आईडी नही बनी है। वह अपनी फार्मर आईडी बनवा लें एवं जिन किसानों की फार्मर आईडी बनी है परन्तु भूमि का संपूर्ण विवरण उसमें नही जुडा है। वह अपनी संपूर्ण भूमि का विवरण फार्मर आईडी में जुडवा लें। जिससे किसानों को ई-विकास प्रणाली से उर्वरक क्रय करते समय अनावश्यक समस्याओं का सामना न करना पडे।

कार्यक्रम में डीएमओ सतेंद्र सिंह, दिनेश कुमार गुप्ता नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, अरूण कुमार शाक्य कृषि विकास अधिकारी, शरद रघुवंशी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी वि.ख. श्योपुर, अरविन्द कुमार तकनीकी सहायक, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, पंचायत विभाग, सहकारिता विभाग के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

विजयपुर में भी विकास खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित

ई-विकास प्रणाली के संबंध में जनपद पंचायत विजयपुर में विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसमें राजस्व विभाग से राजस्व निरीक्षक, पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, कृषि विभाग के वरिष्ठा कृषि विकास अधिकारी एवं कृषि विस्तार अधिकारियों को ई-विकास प्रणाली के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। सहायक संचालक कृषि मुनेश कुमार शाक्य द्वारा बताया गया कि ई-विकास प्रणाली डिजिटली रूप से उर्वरक वितरण करने की प्रणाली है। जो किसानों की अनावश्यक भीड को कम करने एवं लंबी कतारों से राहत दिलाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शत प्रतिशत रूप से लागू की गई है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य किसानों को पारदर्शी तरीके से सुगमतापूर्वक उर्वरक प्रदाय करना है। सीईओ जनपद विजयपुर राकेश शर्मा द्वारा किसानों की संपूर्ण भूमि की फार्मर रजिस्ट्री का कार्य शत प्रतिशत एग्रीस्टेक पर करने के संबंध में जानकारी दी गई। इसके अलावा मैदानी अमले को निर्देशित किया गया कि वे किसानों को ई-विकास प्रणाली का व्यापक प्रचार-प्रसार कर जागरूक करें। सहकारिता निरीक्षक राहुल शर्मा द्वारा समस्त मैदानी अमले राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षकों, पटवारियों, पंचायत विभाग के सचिवों, रोजगार सहायकों, कृषि विभाग के कृषि विस्ताार अधिकारियों को उर्वरक प्रदाय प्रशिक्षण में ई-टोकन जनरेशन प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन कृषि विकास अधिकारी अरूण कुमार शाक्य द्वारा किया गया। इस अवसर पर सीईओ जनपद राकेश शर्मा, सहायक संचालक कृषि मुनेश कुमार शाक्य, कृषि विकास अधिकारी अरूण कुमार शाक्य, सहकारिता निरीक्षक राहुल शर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी वि.ख. विजयपुर विष्णु राठौर, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, पंचायत विभाग, सहकारिता विभाग के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

विजयपुर के महादेव मंदिर पर प्याऊ का शुभारंभ

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 03 अप्रैल। सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद के निर्देशन में जल गंगा संवर्धन अभियान के क्रम में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की नवांकुर संस्था शिवांश युवक मंडल समिति द्वारा विजयपुर में महादेव मंदिर पर जल मंदिर (प्याऊ) का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के तहत जल शक्ति से नव भक्ति पहल अंतर्गत समन्वयक श्रीमती नेहा सिंह ने बताया कि विजयपुर स्थित महादेव मंदिर पर विधिवत पूजन-अर्चन कर जल मंदिर की शुरूआत की गई, इस अवसर पर जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने हेतु रैली भी निकाली गई। कार्यक्रम में ग्राम नगर विकास प्रस्फुटन समिति से मेंटर हेमंत शर्मा, गौरव तिवारी, बबलू नायक, सुश्री प्रियंका मौर्या, राकेश जाटव, सौरव धाकड़ एवं विभिन्न समितियों के प्रतिनिधि एवं एमएसडब्ल्यू के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

आम सूचना

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुवरपाल सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भवन, स्थित ग्राम श्योपुर, तहसील एवं जिला श्योपुर (म.प्र.) है जो नगर पालिका श्योपुर वार्ड क्र.17 पुराना एवं 19 नया में स्थित है एवं जिसका क्षेत्रफल 111.52 वर्गमीटर है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:-पूर्व में रास्ता सीमेन्टेड, पश्चिम में भवन सीताराम, नन्दकिशोर व विक्रेता, उत्तर में-भवन भार्गव साहब व विक्रेता एवं दक्षिण में-रास्ता सीमेन्टेड है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में नगर पालिका रिकार्ड के अनुसार श्री गजानन्द जांगिड़ पुत्र श्री रामकल्याण जांगिड़ के स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री गजानन्द जांगिड़ द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुवरपाल सिंह को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी402682021ए1224361 दिनांक 04.03.2021 से विक्रय की गई थी। उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित वर्ष 2021 से पूर्व कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार इण्डिया शैल्टर फायनेंस कॉर्पोरेशन लि. श्योपुर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर अथवा पूर्व का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. भवन क्र. 52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

अदालती सूचना

आज्ञा से: कल्पना, उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा।
न्यायालय सिविल जज (कनिष्ठ खंड), देहरादून।
मूल वाद सं० 357 वर्ष 2025

विनय अरोड़ा, आयु लगभग 52 वर्ष, पुत्र स्व० श्री जेठा नन्द, निवासी: डी-174, स्वर्ण नगरी, सेक्टर-31, ग्रेटर नोएडा, पोस्ट ऑफिस: नॉलेज पार्क ।, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201310 ....**वादी**

बनाम

1. श्री बी.एम. शर्मा, पुत्र श्री गोविन्द राम पुरोहित, निवासी: ग्राम गुरहकटला, तहसील बसवा, जयपुर, राजस्थान व अन्य ....**प्रतिवादीगण**

नोटिस बनाम

1. श्री बी.एम. शर्मा, पुत्र श्री गोविन्द राम पुरोहित, निवासी: ग्राम गुरहकटला, तहसील बसवा, जयपुर, राजस्थान। **2.** श्री एन.सी. पारीक, पुत्र स्व० श्री मुंशी राम शर्मा, निवासी: 50, डी.एल. रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड। **3.** श्री बलबीर सिंह शर्मा, पुत्र स्व० श्री मुंशी राम शर्मा, निवासी: 60, चंदर नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड। **4.** श्री परवेश कुमार, पुत्र स्व० श्री मुंशी राम शर्मा, निवासी: 60, चंदर नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड। **5.** श्रीमती बिमला शर्मा, पत्नी श्री बी.एम. शर्मा, निवासी: ग्राम गुरहकटला, तहसील बसवा, जयपुर, राजस्थान। **6.** श्रीमती पुष्पा देवी, पत्नी श्री विजय कुमार पारीक, निवासी: नई सड़क चौक, पटना, बिहार। **7.** श्रीमती आशा पारीक, पत्नी श्री दिनेश कुमार पारीक, निवासी: खटवाड़ा हाउस, दीनानाथ की गली, पुरानी बस्ती, जयपुर, राजस्थान। **8.** श्रीमती अलका पारीक, पत्नी श्री नरेश पारीक, निवासी: बिरला कॉलोनी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।

वादी/आवेदक की ओर से आपके यानि प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त न्यायालय में घोषणा/विक्रय पत्र शुद्धि विलेख डिक्री हेतु वाद प्रस्तुत किया है और न्यायालय के द्वारा उक्त मूलवाद की सुनवाई हेतू दिनांक 04.05.2026 की तिथि नियत की गयी है।

अतएव आपको एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त मूलवाद के सम्बन्ध में यदि प्रतिवादीगण को आपत्ति हो तो वह प्रातः 10:00 बजे न्यायालय सिविल जज (कनिष्ठ खंड), देहरादून के समक्ष स्वंय या किसी अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति गृहित नहीं की जायेगी। और ऐसा करने में असफल रहने पर उक्त मूलवाद मे एकपक्षीय रूप से सुनवाई के उपरान्त उचित आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा सहित दिनांक 24/03/2026 को जारी किया गया। **(प्रबन्धक)**

न्यायालय श्रीमान सिविल जज
(कनिष्ठ खंड), देहरादून